संख्या– 747 / III(2)/08–15(प्रा.आ.)/07 टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24 जून, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में श्री राज्यपाल आवास, सचिवालय, ऑडिटोरियम हेतु विद्युत संबंधी 02 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव श्री राज्यपाल के पत्र सं0–3089/जी0एस0/C-104/2008 दिनांक 10–03–08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल आवास, सचिवालय, ऑडिटोरियम हेतु विद्युत संबंधी 02 कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रुपये 261.58 लाख पर टी.ए. सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 254.21 लाख (रूपये दो करोड चौव्वन लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि की संलग्न सूची के कॉलम–4 में अंकित विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रूपये 254.21 लाख (रूपये दो करोड चौव्वन लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यो में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. आगणन में ली गई मदों की आपूर्ति वृहद प्रचार–प्रसार के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर किया जायें।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक–31.03.2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय और उपयोग के बाद इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा ताँकि समय से भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा सकें। कार्य कराते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रेक्योरमेंट) नियमावली, 2008 का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

16. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक मे अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक–4059 लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य– आयोजनागत–800–अन्य भवन–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाये–01–12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य अवस्थापना विकास–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.– 496/XXVII(2)/2008 दिनांक 19 जून, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– 02 कार्यो की सूची।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या– 747 (1)/III(2)/08–15(प्रा.आ.)/07 टी0सी0, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौडी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या– 747 / III(2)/08–15(प्रा.आ.)/07 टी0सी0, दिनांक 24 जून 2008 का संलग्नक सूची।

(धनराशि रुपये लाख में)

क0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि
1	2	3	4
01–	राजभवन परिसर में नवनिर्मित ऑडीटोरियम, सचिवालय भवन में फायर फाईटिंग एवं फायर अलार्म(एड्रोसिविल) एवं पी0ए0 सिस्टम का कार्य।	63.58	58.21
02–	राजभवन परिसर में नवनिर्मित सचिवालय एवं ऑडीटोरियम भवन में केन्द्रीयकृत वातानुकूलन स्थापना का कार्य।	198.00	196.00
	योगः–	**261.58**	**254.21**

(रूपये दो करोड चौव्वन लाख इक्कीस हजार मात्र)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव